

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
लिछमा बनाम मदनलाल वगै.
मु.नं. 46/2019
बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

16.01.2023

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । अवलोकन किया गया । प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अप्रार्थीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट एवं 131,136 एलआरएक्ट के तहत पेश किया है जिसमें अप्रार्थीयां ने रोही मौजा महाजन के गत खसरा नम्बर 469 की 2.0 बीघा खसरा नम्बर 471 की 4.14 बीघा कुल 6.14 बीघा जिसके खसरा नम्बर 2097/471 की 4.14 बीघा, खसरा नम्बर 2095/469 की 2.0 बीघा कुल 6.14 बीघा भूमि मुख्य सड़क पर स्थित होने के कारण भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे के दौरान तैयार रिकार्ड एवं नक्शा में कब्जाकाश्त के विपरीत की गई तरमीम को निरस्त करवाकर खसरा नम्बर 2110 की 2.29 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थी(अप्रार्थी) के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा नक्शा में तरमीम है, के स्थान पर खसरा नम्बर 2110 की 2.29 हैक्टेयर मे से 1.54 हैक्टेयर पासा उत्तरी अप्रार्थीयां की 2203/2110 मे 0.16 हैक्टेयर के चिपते ही। दुरुस्ती का अनुतोष चाहा गया।

अप्रार्थीयां (प्रार्थीयां) द्वारा प्रस्तुत वाद मे प्रार्थी (अप्रार्थी) को समन जारी किये गये। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मिथ्या एवं बनावटी एवं वेग कथनों पर आधारित हाने के कारण खारिज योग्य है प्रस्तुत वाद में वादीया अप्रार्थीया को प्रतिवादी के विरुद्ध वाद कारण हासिल नहीं हुआ है ना ही वाद कारण डिस्क्लोज किया गया है इसलिए वाद कारण के अभाव में वाद वादीया खारिज योग्य हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के जवाब में अप्रार्थीयां ने जरिये वकील निवेदन किया कि वादीनी ने नियमानुसार जरिये बैनामा दिनांक 24.12.2007 को खरीद की हैं जिस पर खरीद की दिनांक से वादीयां का निरन्तर कब्जा है लेकिन भू-प्रबन्ध विभाग ने वादीनी की भूमि को गलत तरमीम की है जसे सही करवाने हेतु दावा पेश किया है अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 मे वर्णित कथन मिथ्या व गलत है जो पूर्णतया अस्वीकार हैं। प्रार्थीया ने पैरा संख्या 2 में वर्णित कथन को अस्वीकार करते हुवे हवाब पेश किया कि वाद पत्र में पैरा संख्या 6 में वाद कारण स्पष्ट रूप से लिखे हुए है इसलिए पैरा संख्या 2 में वर्णित तथ्य पूर्णतया अस्वीकार है । वादीया ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 को गलत बयानीकरके लिखा होने के कारण अस्वीकार किया।

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सुनी गई। सर्व प्रथम वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि वादीनी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कथन कि वादीया की रोही मौजा महाजन के खसरा नम्बर 2095/469 की 2.0 बीघा व खसरा नम्बर 2097/461 की 4.14 बीघा कुल 6.14 बीघा नेशनल हाईवे पर स्थित है जबकि वास्तविकता में दोनो खसरा की भूमि भिन्न-भिन्न जगह स्थित है वादीया का सड़क के पास कब्जाकाश्त नहीं है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे उपरान्त तैयार रिकार्ड भी वादीया की भूमि के नये खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 1980 व 1985 बने हैं जिसमें गै0मु0 नहर दर्शायी गई है। इस प्रकार वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध वाद कारण हासिल नहीं है प्रार्थी का खसरा नम्बर 2110 जिसका रकबा 2.29 हैक्टेयर जिसका वादीया का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वादीया की भूमि गै0मु0 नहर की बाउण्ड्री मे आ गई हैं जिसमे नहर विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस प्रकार पक्षकारों के संयोजन के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि वादीया की भूमि पुराने खसरा नम्बर 2095/469 व 2097/471 अलग-अलग जगह स्थित थे वादीनी भू-प्रबन्ध विभाग की तरमीम का फायदा उठाकर उक्त खसरा नम्बरो की भूमि को एक जगह तरमीम करवाने हेतु गलत तथ्य पेश किया हैं।

उपस्थित अधिकारी
लूपकरणसर




वादीनी ने अपने पुराने खसरा नम्बर 2095/469 की 2.0 बीघा व खसरा नम्बर 2097/471 की 4.14 बीघा अलग-अलग खसरा नम्बर व अलग-अलग जगह स्थित है को प्रार्थी की खसरा नम्बर 2110 के कब्जाकाशत की भूमि तरमीम करवाना चाहती हैं। वादीया को अपनी भूमि की सही लोकेशन की जानकारी नहीं है वाद-पत्र में कही पर 2110 के उत्तरी दिशा में कही दक्षिण दिशा में अपना कब्जाकाशत बता रही हैं। इस प्रकार वादीनी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आई है लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है व दावा मिथ्या, बनावटी वाद कारण के अभाव में खारिज योग्य हैं। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 द्वारा प्रार्थना के समर्थना नजीरे पेश की जो इस प्रकार है

- 1 2121(1) RPT 121 Sarvar Khan vs. Bhanwarlal
- 2- 2019(1) RRT 417 Padam vs. Panchya
- 3- 2021(1) RRT 535 Kedarmal vs. Jagdish & Ors.

प्रार्थी की बहस के प्रत्युत्तर में वकील वादीया ने कथन किया कि वादीनी ने अपने वाद पत्र वाद कारण डिस्क्लोज किया की खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 469 व 471 में बैयनामा में सडक के पास स्थित दर्शायी हुए हैं तथा इसी अनुसार मौका पर काबिज हैं। वकील प्रार्थी का यह कथन अस्वीकार है क्योंकि मौका पर वादीया द्वारा खरीद दिनांक से निरन्तर कब्जाकाशत राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहा है तथा आज भी हैं। वादीनी ने पुराना नक्शा खसरा नम्बर 469 व 471 की छाया प्रति पेश की है जिसमें दोनो खसरे चिपते हुए है इस प्रकार वकील प्रार्थी का कथन मिथ्या व बनावटी हैं। वादीनी की भूमि मुताबिक नक्शा सडक पर स्थित दर्शायी गई है जो खसरा नम्बर 2110 के उत्तरी दिशा में स्थित हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 साबित नहीं होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थी ने पुनः कथन किया कि वादीया का पूर्व नक्शा में कहीं तरमीम नहीं किया हुआ है। खसरा नम्बर 2110 की 2.29 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तथा तरमीमशुदा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे वाद वादीनी वाद कारण के अभाव में खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस का मनन किया। वाद पत्र मे प्रस्तुत रिकार्ड का भलीभांती परीक्षण किया। हमे यह प्रतीत हुआ है कि वादीनी द्वारा वाद पत्र में खसरा नम्बर 2110 मे गत खसरा नम्बर 469/2095 व 471/2097 की तरमीम दुरुस्ती का अनुतोष चाहा गया है जबकि 2010 मे प्रार्थी की 2.29 बीघा दर्ज रिकार्ड हैं। वादीनी की पुराने खसरा नम्बर 2095/469 व 2097/471 की भूमि के नये खसरा नम्बर 1980 की 0.51 है0 व 1985 में 1.03 है0 कुल 1.54 हैक्टेयर भूमि नक्शा में वादीनी के स्थान पर गै0मु0 नहर दर्शायी गई हैं। इस प्रकार वादीनी को प्रार्थी के विरुद्ध वाद कारण हासिल नहीं हुआ है। इसी प्रकार वादीनी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 2110 के दक्षिण दिशा में अपना कब्जा काशत दर्शाया है तथा इसी स्थान पर तरमीम दुरुस्ती का अनुतोष प्रार्थी के विरुद्ध चाहा गया है इस प्रकार वादीनी क्लीन हैण्ड से नहीं आया हैं। जबकी प्रार्थी वकील आदेश 7 नियम 11 द्वारा पेश नजीरे वाद कारण के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से चस्पा होती हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है वाद वादीनी वाद कारण के अभाव मे पक्षकारों को संयोजन के अभाव में खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजेन्द्र कुमार) की
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर